न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 23/2021

दलीप सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री तारूराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुंझुनू

– निगरानीकार

–बनाम–

1. घासीराम उम्र व्यस्क पुत्र स्व. श्री रतनाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व , जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बाकरा पंचायत समिति झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाकरा तहसील व जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
आदेश संकल्प संख्या 1 विरूद्ध आदेश पट्टा दिनांक 23.12.2004
द्वारा ग्राम पंचायत बाकरा।

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ———–––निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री विजय सिंह ,एडवोकेट ———–––गैर निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 11.03.2022

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध आदेश संकल्प संख्या 1 विरूद्ध आदेश पट्टा दिनांक 23.12.2004 द्वारा ग्राम पंचायत बाकरा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के [illegible] प्रकार हैं कि–गैर निगरानीकार नंबर 1 घासीराम पुत्र रतनाराम ने पट्टा [illegible] आवेदन पत्र ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.21 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

बाकरा के सामने आवेदन किया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत बाकरा ने गैर निगरानीकार नंबर 1 के नाम दिनांक 23.12.2004 को पट्टा जारी कर दिया । उक्त पट्टा के साथ नक्शा सलंग्न है जिसमें पट्टे का क्षेत्रफल 4850 वर्ग फीट लिखा हुआ है। 4850 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 के तहत 300 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। आबादी भूमि को विक्रय के द्वारा निलामी की कार्यवाही कर पट्टा देने की कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। उक्त पट्टा गलत जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने में भूमि खसरा नंबर 814 व 815 दोनों को शामिल कर पट्टा जारी किया है। खसरा नंबर 815 कृषि भूमि है। कृषि भूमि के पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को कभी नहीं रहा। उक्त तथ्य की ताईद फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2021 से होती है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा सही नहीं होने से तथा अवैध दस्तावेज होने से काबिले निरस्त है। निगरानीकार ने दिनांक 05.3.2021 को श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने की शिकायत की थी जिसके आधार पर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07 2021 को बनी उसमें यह तथ्य आया कि पट्टा भूमि में कृषि भूमि भी शामिल है। निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी पट्टा संकल्प संख्या 1 पट्टा बहक धासीराम दिनांक 23.12.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। ग्राम पंचायत बाकरा की मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.21 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा उनको आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने मनगढंत तथ्य अंकित किये है। निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– गैर निगरानीकार नंबर 1 घासीराम पुत्र रतनाराम ने पट्टा बनवाने के लिये आवेदन पत्र ग्राम पंचायत बाकरा के सामने आवेदन किया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत बाकरा ने गैर निगरानीकार नंबर 1 के नाम दिनांक 23.12.2004 को पट्टा जारी कर दिया । उक्त पट्टा के साथ नक्शा सलंग्न है जिसमें पट्टे का क्षेत्रफल 4850 वर्ग फीट लिखा हुआ है। 4850 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 के तहत 300 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। आबादी भूमि को विक्रय के द्वारा निलामी की कार्यवाही कर पट्टा देने की कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। उक्त पट्टा गलत जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने में भूमि खसरा नंबर 814 व 815 दोनों को शामिल कर पट्टा जारी किया है। खसरा नंबर 815 कृषि भूमि है। कृषि भूमि के पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को कभी नहीं रहा। उक्त तथ्य की ताईद फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2021 से होती है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा सही नहीं होने से तथा अवैध दस्तावेज होने से काबिले निरस्त है। निगरानीकार ने दिनांक 05.3.2021 को श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने की शिकायत की थी जिसके आधार पर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07 2021 को बनी उसमें यह तथ्य आया कि पट्टा भूमि में कृषि भूमि भी शामिल है। तत्कालीन सरपंच घासीराम ने स्वयं के नाम से उक्त पट्टा खातेदारी भूमि में से जारी किया है जो विधिक प्रावधानों के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.21 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निरस्त होने योग्य है, अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी पट्टा संकल्प संख्या 1 पट्टा बहक धासीराम दिनांक 23.12.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। जहां तक हस्तगत निगरानी में गैर निगरानीकार घासीराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी बाकरा के नाम से प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.12.2004 द्वारा पटटा जारी हुआ है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि तत्कालीन समय में गैर निगरानीकार घासीराम स्वयं सरपंच था और उसने स्वयं के नाम से खातेदारी भूमि में अपने नाम से पट्टा जारी किया है। उक्त प्रकरण में निगरानीकार एवं ग्रामिणों द्वारा जिला कलक्टर,झुंझुनू को शिकायत किये जाने पर प्रकरण की जांच की गई और बाद जांच उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के पत्रांक पीए/ पीजीआर / –87 / 2021 /370 दिनांक 22.07.2021 द्वारा जिला कलक्टर, झुंझुनू को भेजी गई रिपोर्ट में बिन्दु संख्या–3 पर अंकित किया गया है कि– तत्कालीन सरपंच श्री घासीराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी बाकरा ने स्वयं सरपंच रहते हुये अपने स्वयं के नाम से एक पट्टा दिनांक 23.12.2004 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा से सम्बन्धित भूमि का हल्का पटवारी तथा भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा सीमाज्ञान करने पर पट्टे की कुछ हिस्सा खसरा नंबर 815 कृषि भूमि में होना पाया गया। रिपोर्ट दिनांक 22.7.2021 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट से विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार के कथनों की पुष्टि होती है। ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक हस्तगत निगरानी में घासीराम के नाम से प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.12.2004 द्वारा जारी पटटे का प्रश्न है। ग्राम पंचायत बाकरा की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि पट्टा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 4850 वर्गफिट का तत्कालीन सरपंच द्वारा स्वयं के नाम से जारी किया गया है। विधि का यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.21 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए न्याय नहीं कर सकता। इस प्रकरण में सरपंच घासीराम ने स्वयं के लिए पट्टा जारी किया है जो विधिक प्रावधानों के अनुसार कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। ग्राम पंचायत बाकरा की पट्टा पत्रावली में हल्का पटवारी से आबादी भूमि के संबंध में कोई रिपोर्ट लिये बिना ही दस्तावेज की औपचारिकता पूरी कर उक्त पट्टा सरपंच द्वारा स्वयं के हित में स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है, जिसका कुछ भाग कृषि भूमि में होना बाद जांच पाया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में श्री घासीराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम जाति जाट निवासी बाकरा के नाम से प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.12.2004 द्वारा जारी निरस्त किया जाता है। मिसल ग्राम पंचायत बाकरा आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.21 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested